

पंचीकरण सं. 09/2018-19

पर्याप्ति विषय

३० कुमार कान्ट्रिवत्तन कंपनी प्र० ३० श्रीमती निराशा देवी फली श्री अकोश कुमार हिंडै, म०८०-८० कट्टर, अब्दुल यनी राहर राहसील व जिला फलोहपुर को ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल— इलाहाबाद में भवन/मार्ग एवं पुल के सिद्धिल निर्माण के लिये “सी” खेती में हेक्टेटारी हेतु पर्याप्त किला जाता है।

इह प्रमाणन पत्र यार्दील अभिवन्धन विभाग परिमण्डल- इसाहासाद के अन्तर्गत समाप्त प्रखण्डों में मान्य होगा तथा इस प्रतिबन्ध के साथ दिनांक 30.06.2021 तक बैठा होगा कि किसी भी समय टैक्सेदार द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रपञ्च/तत्त्व यदि गलत घोषित जाता है तो एकीकरण सकता: समाज ही जायेगा, एवं नियमानुसार विधिक रुपर्दीवाही भी की जायेगी। इस प्रमाणपत्र की वैधता दिनांक 30.06.2021 के बाद सकता: समाप्त समझी जायेगी।

गोट- गुरुदास के गीतकाव्य/वर्णभौमिकन काव्यों के प्राचलन
का शिल्प के निवारों के असाधेत लिखितों का वर्णिकाल काव्य
एवं साहित्य-काव्य काव्य अधिकारी है।

आपीसप्पा अभियन्ता
शान्तीग्र अभियन्त्रण दिमाग
जीविष्टहत इतावधार

प्राचीन एवं दिनांक संस्कृतानुवाद

परिलिपि – निम्नलिखित को सहनार्थ एवं आवश्यक कार्यपाली देख प्रेषित-

- समस्त अधिकारी अधिकारी, शामील अधिकारी प्रिभाग परिवहन-इलाहाबाद।
 - अधिकारी अधिकारी शामील अधिकारी प्रिभाग प्रखण्ड पटोहपुर को यहाँदा ३००३० शामील थे, शाखा पटोहपुर द्वारा निर्णय एप्रिली०आर० सं०-०८०६५५ दिनांक ०७.०७.२०१८ जमा धनरक्षि रु० १,००,०००.०० जो अपीहतशासी के पदनाम कंडक है, मुलकम में इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रिभाग हि यहाँ काया जानने धनरक्षि को अपनी रोक करवटी में रख ले और जब तक इस सारे से छोड़ आदेश/निर्देश निर्णय न हिले जाये तब तक कोई मुलक न करें (संलग्नक मूल रूप में)।
 - मे० कुमार कान्तकुलान कापनी प्रो० श्रीमती निराजा देवी पत्नी श्री अपोदेश कुमार द्विवेदी, नल०-८० काटरा, अद्युत नगी शहर लहसील व जिला पटोहपुर द्वारा अधिकारी अधिकारी शामील अधिकारी प्रखण्ड करवटी।



आधिकार अधिकारी
प्राप्ति अधिकारी किंवा
परिवर्तन इत्यापाद।